स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

मांग संख्या 39

भारतीय औषध पद्धति तथा होम्योपैथी विभाग

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार हैः

(करोड़ रुपए)

		बजट 2000-2001			संशोधित 2000-2001			बजट 2001-2002		
	मुख्य शीर्ष	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व		99.99	43.50	143.49	89.49	44.14	133.63	113.00	45.56	158.56
पूंजी		*0.01*	*...*	*0.01*	*0.51*	*...*	*0.51*	*7.00*	*...*	*7.00*
जोड़		**100.00**	**43.50**	**143.50**	**90.00**	**44.14**	**134.14**	**120.00**	**45.56**	**165.56**
1. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	2251	2.75	0.38	3.13	3.25	0.36	3.61	3.25	0.40	3.65
चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य										
भारतीय औषध पद्धति तथा होम्योपैथी										
2. आयुर्वेद	2210	13.20	27.49	40.69	12.55	27.62	40.17	12.96	28.05	41.01
3. होम्योपैथी	2210	8.20	5.46	13.66	8.49	5.73	14.22	8.27	6.07	14.34
4. यूनानी	2210	10.50	6.41	16.91	12.00	6.41	18.41	10.84	7.16	18.00
5. योग और प्राकृतिक चिकित्सा	2210	6.20	1.84	8.04	3.60	1.81	5.41	5.99	1.86	7.85
6. उत्तर-पूर्वी राज्यों और सिक्किम के लिए एकमुश्त प्रावधान	2210	10.00	...	10.00	8.53	...	8.53	...	...	...
	2552	...	...	...	...	...	...	6.00	...	6.00
	4552	...	...	...	...	...	...	6.00	...	6.00
	जोड़	*10.00*	*...*	*10.00*	*8.53*	*...*	*8.53*	*12.00*	*...*	*12.00*
7. अन्य	2210	30.64	1.92	32.56	20.60	2.21	22.81	47.19	2.02	49.21
	3601	18.50	...	18.50	20.47	...	20.47	18.50	...	18.50
	जोड़	*49.14*	*1.92*	*51.06*	*41.07*	*2.21*	*43.28*	*65.69*	*2.02*	*67.71*
जोड़-चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य		**97.24**	**43.12**	**140.36**	**86.24**	**43.78**	**130.02**	**115.75**	**45.16**	**160.91**
8. सरकारी उद्यमों में निवेश-आई.एम.पी.सी. लि.	4210	0.01	...	0.01	0.51	...	0.51	1.00	...	1.00
कुल जोड़		***100.00***	***43.50***	***143.50***	***90.00***	***44.14***	***134.14***	***120.00***	***45.56***	***165.56***
ख. सरकारी उद्यमों में निवेश	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़
1. इंडियन मेडीसन सन फार्मास्युटिकल कारपोरेशन	22210	0.01	...	0.01	0.51	...	0.51	1.00	...	1.00
ग. आयोजना परिव्यय										
1. चिकित्सा ओर लोक स्वास्थ्य	22210	100.00	...	100.00	90.00	...	90.00	108.00	...	108.00
2. उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	22552	...	...	...	...	...	...	12.00	...	12.00
	जोड़	*100.00*	*...*	*100.00*	*90.00*	*...*	*90.00*	*120.00*	*...*	*120.00*

1.**सचिवालय - सामाजिक सेवाएं** : इसमें भारतीय औषध पद्धति और होम्योपैथी विभाग की सचिवालय सेवा के लिए व्यवस्था की गई है।

2. **आयुर्वेदः** इसके अंतर्गत (i) राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर, जो शिक्षण, प्रशिक्षण, अनुसंधान और रोगी उपचार के लिए एक आदर्श संस्थान के रूप में कार्यरत है, (ii) आयुर्वेद और सिद्ध में अनुसंधान के लिए केन्द्रीय परिषद और (iii) स्नातकोत्तर प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, जामनगर, जो गुजरात आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय का एक घटक है, राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ, नई दिल्ली को अनुरक्षण तथा विकास सहायता अनुदान आदि की व्यवस्था शामिल है।

3. **होम्योपैथी** : इसके अन्तर्गत होम्योपैथी में अनुसंधान के लिए केन्द्रीय परिषद्, राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कलकत्ता, जो एक स्वायत्त संगठन है, को अनुदान और होम्योपैथी फार्मेसी लेबोरेट्री, गाजियाबाद, जो इस विभाग का एक अधीनस्थ कार्यालय है, के लिए प्रावधान करने के अतिरिक्त होम्योपैथिक स्नातकोत्तर महाविद्यालय का दर्जा बढ़ाने के लिए अनुदान की व्यवस्था भी शामिल है।

4. **यूनानी** : इसमें (i) यूनानी औषधियों में अनुसंधान के लिए केन्द्रीय परिषद (ii) राष्ट्रीय यूनानी औषध संस्थान, बैंगलोर (अध्यापन, प्रशिक्षण, अनुसंधान एवं जन स्वास्थ्य की देखभाल का एक आदर्श संस्थान), जो सरकार द्वारा पूर्णः वित्त पोषित स्वायत्त संगठन हैं, के लिए प्रावधान शामिल है।

5 **योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा** : इसमें केन्द्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली, मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, नई दिल्ली और राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, पुणे, और अन्य स्वायत्तशासी संगठनों के लिए अनुदान का प्रावधान है।

6. इस मांग में उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों और सिक्किम के लाभ के लिए बनाई गई परियोजनाओं/योजनाओं हेतु वर्ष 2001-2002 के बजट अनुमानें में 12 करोड़ रुपए की एकमुश्त व्यवस्था को शामिल किया गया है।

7. **अन्य** : इसमें केन्द्रीय क्षेत्र की चार योजनाएं सम्मिलित हैं, अर्थात् (i) भारतीय औषध चिकित्सा प्रणालियों में स्नातकोत्तर प्रशिक्षण और अनुसंधान के विभागों का स्तरोन्नयन, (ii) भारतीय औषधि प्रणाली तथा होम्योपैथी पूर्व-स्नातक महाविद्यालयों का स्तरोन्नयन (iii) औषधीय पौधों के बागों का विकास और (iv) भारतीय औषधि प्रणाली और होम्योपैथी में चिकित्सकों, शिक्षकों, यंत्रविदों और अनुसंधानकर्ताओं का प्रशिक्षण और विभाग के अन्तर्गत अधीनस्थ कार्यालय, भारतीय औषध, गाजियाबाद में भेषजीय प्रयोगशालाएं। इसके अतिरिक्त, इसमें अन्तर्राष्ट्रीय एक्सचेंज कार्यक्रम, सूचना, शिक्षा और संचार, अतिरिक्त भित्ति अनुसंधान परियोजना समीक्षा उपयोग तथा भारतीय औषधि प्रणालियां और होम्योपैथी प्रणाली की स्वीकार्यता और राज्य औषध परीक्षण प्रयोगशालाओं और फार्मोसियों जैसी चालू योजनाओं के लिए की गयी व्यवस्था शामिल है।

इसमें नई योजनाओं को शुरु करने के लिए भी प्रावधान किया गया है अर्थात पेंटट सेल, सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञ क्लीनिक, राष्ट्रीय औषधीय पौधा बोर्ड, सूचना प्रौद्योगिकी, फार्मेसी परिषदो, होटलों में आयुर्वेद पार्क/पंचकर्म और दिल्ली में एक राष्ट्रीय आयुर्वेद अस्पताल के लिए प्रावधान शामिल है।

8. **सरकारी उद्यमों में निवेशः** इंडियन मेडिसन फार्मस्युटिकल कारपोरेशन, रानीखेत की कुमाऊं मंडल विकास निगम (उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम) के साथ संयुक्त भागीदारी है जो भारतीय तथा होम्योपैथी पद्धति की दवाएं सरकारी संस्थाओं आदि को तथा खुले बाजार में बिक्री हेतु आपूर्ति करता है।